



2026:AHC:55759

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 9581 वर्ष 2026

राजू यादव

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अतुल कुमार यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. श्री महेश कुमार, जो श्री अतुल कुमार यादव, अधिवक्ता की ओर से उपस्थित हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वाद संख्या 3614 वर्ष 2020 (राज्य बनाम राजू यादव एवं अन्य), जो अपराध संख्या 62 वर्ष 2020, धारा 419, 420, 406 भारतीय दंड संहिता, थाना- कोतवाली, जनपद बस्ती से उत्पन्न हुआ है, तथा आरोप पत्र दिनांक 11.06.2020 एवं संज्ञान/समन आदेश दिनांक 19.10.2020 सहित संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विवादित आरोप पत्र तथा संज्ञान/समन आदेश सहित संपूर्ण कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी है कि धारा 420 एवं 406 भारतीय दंड संहिता एक साथ लागू नहीं हो सकतीं, जैसा कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2024) 10 एस.सी.सी. 690** में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के अनुसार है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है :-

"38. हमारे विचार में, शिकायत का सामान्य पठन उपर्युक्त आवश्यक तत्वों को स्पष्ट नहीं करता है। हम केवल यह कहना चाहते हैं कि पुलिस तथा अधीनस्थ न्यायालयों के मन में विधि संबंधी गंभीर भ्रांति को दूर करने के लिए यदि शिकायतकर्ता का यह मामला है कि धारा 405 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत परिभाषित आपराधिक न्यास भंग का अपराध, जो धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है, अभियुक्त द्वारा किया गया है, तो उसी समय यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत परिभाषित धोखाधड़ी का अपराध भी किया है, जो धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है।

41. मात्र अनुबंध के उल्लंघन तथा आपराधिक न्यास भंग एवं धोखाधड़ी के अपराध के बीच सूक्ष्म अंतर है। धोखाधड़ी के मामले में प्रेरित करने के समय अभियुक्त की मंशा देखी जानी चाहिए, जिसका आकलन बाद के आचरण से किया जा सकता है, परंतु इसके लिए बाद का आचरण ही एकमात्र परीक्षण नहीं है। मात्र अनुबंध का उल्लंघन, धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का आधार नहीं बन सकता, जब तक कि लेन-देन के प्रारंभ से ही कपटपूर्ण या बेईमानी की मंशा प्रदर्शित न हो।

43. आपराधिक न्यास भंग तथा धोखाधड़ी के बीच अंतर है। धोखाधड़ी के लिए झूठा या भ्रामक प्रस्तुतीकरण करते समय प्रारंभ से ही आपराधिक मंशा आवश्यक है। आपराधिक न्यास भंग के मामले में केवल न्यास का सिद्ध होना पर्याप्त है। अतः आपराधिक न्यास भंग में संपत्ति विधिपूर्वक सौंपी जाती है तथा अभियुक्त द्वारा उसका बेईमानी से दुरुपयोग किया जाता है, जबकि धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त किसी व्यक्ति को धोखा देकर संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में दोनों अपराध एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते।

55. अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को विधि का उचित प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वे धोखाधड़ी तथा आपराधिक न्यास भंग के अपराधों के बीच सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र एवं भिन्न हैं। दोनों अपराध एक ही तथ्यों में एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। वे एक-दूसरे के विपरीत हैं। भारतीय दंड संहिता (अब बी.एन.एस. 2023) के ये दोनों प्रावधान जुड़वां नहीं हैं कि एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रह सकता।"

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने वर्तमान आवेदन में की गई प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, परंतु आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक सिद्धांत का खंडन करने में असमर्थ रहे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. चूंकि आवेदक की ओर से केवल विधिक तर्क प्रस्तुत किया गया है, अतः विपक्षी पक्ष संख्या-2 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, अभिलेखों का अवलोकन करने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दिल्ली रेस क्लब (सुप्रा)** के मामले में दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि धारा 420 एवं 406 भारतीय दंड संहिता एक साथ लागू नहीं हो सकतीं, अतः दिनांक 19.10.2020 का संज्ञान/समन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दिल्ली रेस क्लब (सुप्रा)** का निर्णय दिनांक 23.08.2024 को पारित किया गया तथा वर्तमान प्रकरण में संज्ञान दिनांक 19.10.2020 को लिया गया, तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कनिष्क सिन्हा एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य [2025 SCC Online SC 443]** में प्रतिपादित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सामान्यतः पूर्व प्रभावी होता है, जब तक कि निर्णय में विशेष रूप से भविष्य प्रभावी होने का उल्लेख न किया गया हो।
7. उपर्युक्त के दृष्टिगत, वाद संख्या 3614 वर्ष 2020 (राज्य बनाम राजू यादव एवं अन्य), जो अपराध संख्या 62 वर्ष 2020, धारा 419, 420, 406 भारतीय दंड संहिता, थाना-कोतवाली, जनपद बस्ती से उत्पन्न हुआ है, में पारित दिनांक 19.10.2020 का संज्ञान/समन आदेश केवल वर्तमान आवेदक के संबंध में **निरस्त** किया जाता है। प्रकरण को पुनः संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जाता है, ताकि आवश्यक होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दिल्ली रेस क्लब (सुप्रा)** में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के आलोक में पुनः संज्ञान आदेश पारित किया जा सके।
8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **आंशिक रूप से स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 18 मार्च, 2026

शाश्वत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।